विहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

ग्रामीण विकास विभाग संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन, अनुश्रवण और गुणवत्ता की स्वतंत्र निगरानी हेतु कटिबद्ध है। इसके लिए विभाग द्वारा राज्य स्तरीय गुणवत्ता अनुश्रवक कोषांग(State Quality Monitor Cell) कार्यरत है ।

राज्य स्तर पर कार्यरत इस कोषांग के लिए SQM की सूचीवद्धता कार्य आधारित होगी। कार्य निष्पादन हेतु उन्हें उन क्षेत्रों का दौरा करना होगा जहाॅ वास्तव में योजनाए क्रियान्वित होती है। SQM का क्षेत्र भ्रमण कार्यकम परिवाद अथवा रैंडम जाॅच आदेश आधारित होगा, जिसमें उनके द्वारा लाभान्वितों से मिल कर, योजनाओं की जानकारी, क्रियान्वयन की स्थिति तथा सृजित परिसंपत्तियों की गुणात्मक जाॅच की जायेगी तथा जाॅच प्रतिवेदन विभाग को समर्पित किया जायेगा।

SQM को मनरेगा के साथ-साथ ग्रामीण विकास द्वारा संचालित अन्य योजनाओं का अनुश्रवण एंव गुणवत्ता जाॅच के अलावा उन जाॅच कार्यो का भी निष्पादन करना होगा जो समय-समय पर ग्रामीण विकास विभाग उन्हे उपलब्ध कराया जायेगा, इसमें अन्य योजनाओं की गुणात्मक जाॅच के अलावा ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली तथा विभागीय स्तर पर प्राप्त शिकायतें या अन्य कार्य इत्यादि होगें।

सूचीवद्धता की शर्ते :-

1. SQM का सूचीकरण 2 वर्षो के लिए किया जायेगा । उनके द्वारा संपादित कार्यो की वार्षिक समीक्षा की जायेगी। सेवा संतोषप्रद रहने की स्थिति में उनकी सेवा 1 वर्ष के लिए विस्तारित की जायेगी। कार्य संतोषदप्रद नहीं होने की दशा में सूचीवद्धता रद्द की जा सकती है।
2. पूर्व से कार्यरत राज्य गुणवत्ता अनुश्रवक जो 3 वर्ष या इससे अधिक कार्य कर चुके है, वे इस विज्ञापन के लिए योग्य नही होगें ।
3. SQM का चयन, प्रशासन, शिक्षा, लेखा, अंकेक्षण, पुलिस, अभियंत्रण, कृषि, योजना एवं सांख्यिकी, पशुपालन एवं मत्स्य तथा वन सेवा से अवकाश प्राप्त अधिकारियों, **जो संयुक्त सचिव स्तर**(पे-बैन्ड:4,ग्रेड पे 8700 रू0/पे मैट्रिक्स स्तर-13) **अथवा इसके उपर स्तर के हो** तथा समाजशास्त्र/ सामाजिक क्षेत्र/ के कार्यों का अनुभव हो, से किया जायेगा ।
4. SQM को प्रतिदिन 2000/- रू0 मानदेय देय होगा ।
5. SQM को आवंटित जिले का दौरा करना होगा। (यात्रा के अतिरिक्त)।
6. SQM को प्रतिवेदन तैयार करने हेतु 4000/- रू0 अलग से दिया जायेगा। यात्रा के क्रम में की गयी जाॅच से संबंधित प्रतिवेदन, अनुश्रवण के संबंध में लाभार्थियों के व्यान, फोटोग्राफ इत्यादि तथा समीक्षा से संबंधित बैठक इत्यादि की कार्यवाही प्रतिवेदन का अनिवार्य भाग होगा।
7. उम्र सीमा - 66 वर्ष (दिनांक - 01.07.2019 आधारित) ।

आवेदन प्रक्रिया :-

सूचीकरण के लिए इच्छुक योग्य उम्मीदवार से विभागीय वेबसाइट rdd.bih.nic.in पर ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किया जाता है। आवेदन हेतु अंतिम तिथि 13.8.2019 को 5:00 बजे अपराहन तक है।